निदेशक

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
संचिका सं0:-05/स्था-110/89(पार्ट-2)
आदेश

विभागीय पत्रांक-1429 दिनांक-04.03.1972 द्वारा परिवहन विभाग में जिला परिवहन पदाधिकारी(विभागीय) के पद पर गैर संवर्गीय पदों से प्रोन्नति का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत अबतक कुल 7 समव्यवहारों में पात्र कुल 32 कर्मियों को प्रोन्नति दी गई है। विभागीय पत्रांक-4133 दिनांक-10.09.2007 द्वारा आठवें समव्यवहार के लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से दिनांक-23.10.2007 तक आवेदन की मांग की गई। आवेदन आमंत्रण की अंतिम तिथि दिनांक-23.10.2007 को प्रोन्नति हेतु कुल 5 पद उपलब्ध था। इसके आलोक में पात्र सवर्गों से कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 2 कर्मी का झारखंड में कैडर आबंटित है और 1 की मृत्यु हो गई है तथा 19 सेवा निवृत्त हो चुके हैं। शेष 6 कर्मी जिला परिवहन पदाधिकारी(विभागीय) के पद पर प्रोन्नति देने हेतु विचारण क्षेत्र में आते हैं। इसमे से 2 सांख्यिकी संवर्ग से तथा शेष 4 लिपिकीय संवर्ग से आते हैं।

सांख्यिकी संवर्ग की वरीयता पूर्व से निर्धारित है किन्तु लिपिकों की समेकित वरीयता सूची नही निर्धारित रहने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी(विभागीय) के पद पर प्रोन्नति देने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित करने हेतु विचारण क्षेत्र में आने वाले उच्च वर्गीय लिपिकों की औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित करते हुए विभागीय पत्रांक-7496 दिनांक-27.12.2016 द्वारा इस पर आपत्ति की मांग की गई। इसके आलोक में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन करने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये गये :-

(क) प्रोन्नति के लिए आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक-23.10.2007 तक प्राप्त आवेदन।

(ख) पत्रांक-1429 दिनांक-04.03.1972 से आच्छादित प्रोन्नति हेतु पात्र संवर्ग।

उपर्युक्त मापदण्डों के आलोक में प्राप्त आपत्ति पर विचार किया गया जिनका फलाफल निम्नवत है:-

(क) श्री दिवाकर कुमार, लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज से जिला परिवहन पदाधिकारी (विभागीय) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए लिपिक संवर्ग की औपबंधिक वरीयता सूची में नाम शामिल किये जाने के अभ्यावेदन को विचारोपरांत इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है कि उक्त पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन देने की निर्धारित समय-सीमा दिनांक-23.10.2007 तक श्री कुमार द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत नही किया गया था।

(ख) श्री अशोक कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना से जिला परिवहन पदाधिकारी (विभागीय) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए लिपिक संवर्ग की औपबंधिक वरीयता सूची में नाम शामिल किये जाने के अभ्यावेदन को विचारोपरांत इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है कि उक्त पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन देने की निर्धारित समय-सीमा दिनांक-23.10.2007 तक श्री सिंह द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत नही किया गया था।

(ग) श्री सत्यानन्द आंजनेय, लेखा लिपिक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना से जिला परिवहन पदाधिकारी (विभागीय) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए लिपिक संवर्ग की औपबंधिक वरीयता सूची में नाम शामिल किये जाने के अभ्यावेदन को विचारोपरांत इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है कि लोक निर्माण, परिवहन एवं लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग(परिवहन शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक--1429 दिनांक-04.03.1972 में उक्त पद पर

5

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र कर्मचारी/पदाधिकारी के पदों की सूची में लेखा लिपिक के पद का उल्लेख नहीं है।

उपर्युक्त तीनों कर्मियों के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

E-mail

ज्ञापांक– 05/स्था–110/89(पार्ट–2) 696 पटना दिनांक–14/2/17

प्रतिलिपिः– श्री अशोक कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना।/श्री दिवाकर कुमार, लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज तथा श्री सत्यानन्द आंजनेय, लेखा लिपिक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/2

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

संचिका सं0:-05/स्था-110/89(पार्ट-2)

आदेश

निदंशित

विभागीय पत्रांक-1429 दिनांक-04.03.1972 द्वारा परिवहन विभाग में जिला परिवहन पदाधिकारी(विभागीय) के पद पर गैर संवर्गीय पदों से प्रोन्नति का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत अबतक कुल 7 समव्यवहारों में पात्र कुल 32 कर्मियों को प्रोन्नति दी गई है। विभागीय पत्रांक-4133 दिनांक-10.09.2007 द्वारा आठवें समव्यवहार के लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से दिनांक-23.10.2007 तक आवेदन की मांग की गई। आवेदन आमंत्रण की अंतिम तिथि दिनांक-23.10.2007 को प्रोन्नति हेतु कुल 5 पद उपलब्ध था। इसके आलोक में पात्र संवर्गों से कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 2 कर्मी का झारखंड में कैडर आबंटित है और 1 की मृत्यु हो गई है तथा 19 सेवा निवृत्त हो चुके हैं। शेष 6 कर्मी, जिला परिवहन पदाधिकारी(विभागीय) के पद पर प्रोन्नति देने हेतु विचारण क्षेत्र में आते हैं। इसमे से 2 सांख्यिकी संवर्ग से तथा शेष 4 लिपिकीय संवर्ग से आते हैं।

सांख्यिकी संवर्ग की वरीयता पूर्व से निर्धारित है किन्तु लिपिकों की समेकित वरीयता सूची नही निर्धारित रहने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी(विभागीय) के पद पर प्रोन्नति देने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित करने हेतु विचारण क्षेत्र में आने वाले उच्च वर्गीय लिपिकों की औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित करते हुए विभागीय पत्रांक-7496 दिनांक-27.12.2016 द्वारा इस पर आपत्ति की मांग की गई। इसके आलोक में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन करने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये गये :-

(क) प्रोन्नति के लिए आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक-23.10.2007 तक प्राप्त आवेदन।

(ख) पत्रांक-1429 दिनांक-04.03.1972 से आच्छादित प्रोन्नति हेतु पात्र संवर्ग।

उपर्युक्त मापदण्डों के आलोक में प्राप्त आपत्ति पर विचार किया गया जिनका फलाफल निम्नवत है:-

(क) श्री दिवाकर कुमार, लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज से जिला परिवहन पदाधिकारी (विभागीय) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए लिपिक संवर्ग की औपबंधिक वरीयता सूची में नाम शामिल किये जाने के अभ्यावेदन को विचारोपरांत इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है कि उक्त पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन देने की निर्धारित समय-सीमा दिनांक-23.10.2007 तक श्री कुमार द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत नही किया गया था।

(ख) श्री अशोक कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना से जिला परिवहन पदाधिकारी (विभागीय) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए लिपिक संवर्ग की औपबंधिक वरीयता सूची में नाम शामिल किये जाने के अभ्यावेदन को विचारोपरांत इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है कि उक्त पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन देने की निर्धारित समय-सीमा दिनांक-23.10.2007 तक श्री सिंह द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ग) श्री सत्यानन्द आंजनेय, लेखा लिपिक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना से जिला परिवहन पदाधिकारी (विभागीय) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए लिपिक संवर्ग की औपबंधिक वरीयता सूची मे नाम शामिल किये जाने के अभ्यावेदन को विचारोपरांत इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है कि लोक निर्माण, परिवहन एवं लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग(परिवहन शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक-1429 दिनांक-04.03.1972 में उक्त पद पर

6

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र कर्मचारी/पदाधिकारी के पदों की सूची में लेखा लिपिक के पद का उल्लेख नहीं है।

उपर्युक्त तीनों कर्मियों के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 05/स्था–110/89(पार्ट–2) पटना दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री अशोक कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना।/श्री दिवाकर कुमार, लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज तथा श्री सत्यानन्द आंजनेय, लेखा लिपिक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

E-mail

ज्ञापांक– 05/स्था–110/89(पार्ट–2) 696 पटना दिनांक– 14/2/17

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/2

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।